

VPD
R. D. S. M.
31/7/2017

क्रमांक:

दिनांक:

प्रेषक: वन मण्डल अधिकारी
कुरुक्षेत्र ।

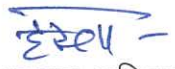
सेवा में: वन संरक्षक उत्तरी परि०
हरियाणा, पंचकूला ।

विषय: **Diversion of 0.0584 ha. Forest land for access to retail outlet/ Petrol Pump of IOCL between Km stone no. 66-69 on Shahabad-Thol Road (SH-04) (Kala Amb-Sadhaura) RD 66.540 (RHS) Village Raipur, Block Shahabad under Forest Division & Distt. Kurukshetra, Haryana.**

मैनेजर इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० पानीपत द्वारा गांव रायपुर में शाहबाद ठोल रोड़ पर पेट्रोल पंप खोलने हेतू रास्ता लेने के लिए इस वन मण्डल का 0.0584 है० वन क्षेत्र का उपयोग गैर वानिकी कार्यों के लिए किया जायेगा। यूजर एजेन्सी द्वारा क्षतिपूर्ति पौधारोपण हेतू 86615/-रु०, जमीन की एन०पी०वी० के लिए 51801/- रु० व फौलिंग चार्जिज 11200/- रु० जमा करवाये जायेगे। इस प्रकार इस केस में कुल राशि 149616/- रु० जमा करवाई जायेगी। इस केस में 116 पौधे आरक्षित वन स्योटी आयत नं० 26 में टाल प्लांटस 0.464 आर०के०एम० में किया जाना प्रस्तावित है। इस केस में जो वन क्षेत्र में सी०ए० का प्लांटेशन किया जायेगा, वह क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से पौधारोपण के लिए उपयुक्त स्थान है। यूजर एजेन्सी द्वारा एफ०सी०ए०-1980 के नियमों की उल्लंघना नहीं की गई है।

आपको इस केस की 4 प्रतियाँ साईट प्लान, निरीक्षण रिपोर्ट, क्षति पूर्ति पौधारोपण का खर्चा, प्रभावित क्षेत्र का नक्शा, पौधारोपण करवाने का मैप, पी०डब्ल्यू०डी०, डी०टी०पी० की एन०ओ०सी० की प्रतियाँ साथ संलग्न भेजी जाती है।

संलग्न / यथोपरि ।


वन मण्डल अधिकारी
कुरुक्षेत्र ।

पृ० क्रमांक: 1642 - 1643

दिनांक: 6.7.2017

एक प्रति:-

1. व०रा०ओ०, थानेसर को उनके पत्र क्र० 185 दि० 15.06.2017 के संदर्भ में भेजकर निर्देश दिये जाते हैं कि बिना भारत सरकार की स्वीकृति के वन भूमि का प्रयोग गैर वानिकी कार्यों में न करने दिया जाये।
2. मैनेजर इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० पानीपत मण्डल कार्यालय, पानीपत रिफाईंडरी, पानीपत ।

प्राप्त किया
31 JUL 2017
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पानीपत मंडल कार्यालय, पानीपत


वन मण्डल अधिकारी
कुरुक्षेत्र ।